

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-155/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.02.2019	<p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ^{सोनुवा} के पत्रांक-70, दिनांक-13.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 22.02.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, सोनुवा ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका मोरा देवी, पिता/पति- स्व० जवाहर नायक, जाति- भुईयां (अ०ज०जा०), ग्राम- गोविंदपुर, पो०- लोटापहाड़, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- गोविंदपुर, थाना- चक्रधरपुर, थाना नं०- 106, खाता नं०- 57, प्लॉट नं०- 2897, रकवा- 66 डि०, क्रेता रेवती नायक, पिता/पति- श्री विदेशी नायक, जाति- भुईयां (अ०ज०जा०), ग्राम- गोविंदपुर, पो०- लोटापहाड़, थाना- सोनुवा, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका मोरा देवी, पिता/पति- स्व० जवाहर नायक, जाति- भुईयां (अ०ज०जा०), ग्राम- गोविंदपुर, पो०- लोटापहाड़, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- सोनुवा, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- भुईयां (अ०ज०जा०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 5.25 ए०, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, सोनुवा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता मोरा देवी, पिता/पति- स्व० जवाहर नायक, जाति- भुईयां (अ०ज०जा०), ग्राम- गोविंदपुर, पो०- लोटापहाड़, थाना- सोनुवा, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि 2,00,000/- (दो लाख) रुपये में बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित</p> <p align="center"><i>Beem</i> 14.2.19</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	<p align="center"><i>Beem</i> 14.2.19</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>